भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 4005

(जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>शैक्षिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन</u>

4005. श्री प्रदीप माझी :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान ने परस्पर शैक्षिक सहयोग की स्थापना करने के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस एमओयू की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) अनुसंधान और नए पाठ्यक्रम शुरू करने में इस एमओयू के किस हद तक सहायक होने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क): जी, हां। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान ने 28.12.2012 को नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख): समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, दोनों पक्ष अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित करेंगे:-

(i) कारपोरेट सामाजिक दायित्व, वित्त, प्रतिस्पर्धा नीति एवं कानून आदि जैसे क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए सहयोग;

(ii) डाक्टर छात्रों/शोधकर्त्ताओं द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देना;

(iii) छात्रों व कारपोरेट निकायों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का आयोजन;

(iv) वित्त एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना;

(v) सरकार तथा अन्य सांविधिक अधिकारियों को अनुसंधान/विशेषज्ञ सलाह देना;

(vi) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं आदि के लिए संयुक्त निविदा;

(ग): आशा है कि इस समझौता ज्ञापन द्वारा सहयोगी विकास और पाठ्यक्रम, अनुसंधान, संकाय व छात्र आदान-प्रदान, कारपोरेट मामलों में सेमिनारों व सम्मेलनों का आयोजन करके अनुसंधान तथा नवीनतम पाठ्यक्रमों विशेषकर कारपोरेट सामाजिक दायित्व, वित्त, प्रतिस्पर्धा नीति एवं कानून, आर्थिक नियमन, कारपोरेट विधि आदि के क्षेत्र में विकास का प्रयोजन सिद्ध होगा।

*****